न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 47 / 2016 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2016/00060)

भूरा उर्फ अजीतसिंह पुत्र सुरेश जाति ठाकुर निवासी सिकरौदा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....

रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 14.11.2013 मु0 नं0 2802 / 2013 उनवानी सरकार बनाम भूरा उर्फ अजीतसिंह

उपस्थितिः—

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 19.9.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1 / 2011 के संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र क्रमांक 4896 दिनांक 30.10.2013 तहत अदालत को प्रेषित किया गया जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध दायर आपराधिक मुकदमा संख्या 74 / 2013 का हवाला देते हुये अपीलान्ट को आपराधिक पृष्ठभूमि का मानते हुये अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2013 के जरिये तुरन्त प्राभाव से निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट द्वारा शस्त्र का कभी दुरूपयोग नहीं किया गया है। उसके आधार पर कभी भी नागरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की है केवल मात्र कयासों के आधार पर लोकशान्ति भंग होने की संभावना नहीं मानी जा सकती है।

Web Copy - Not Official

पीडित पक्ष कौन है तथा उसको शस्त्र के आधार पर कैसे हानि पहुंच सकती है इसका कोई कारण दर्ज नहीं किया है। पुलिस रिपोर्ट की सत्यता के लिये अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना स्वयं के सन्तुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। पुलिस रिपोर्ट सन्तुष्टि का कोई आधार कानूनन नहीं माना जा सकता है जिला मजिस्ट्रैट के समक्ष रिकार्ड पर अपीलान्ट के द्वारा लोक शान्ति भंग करने का कोई आधार नहीं था, फिर भी उन्हौने अकारण ही काल्पनिक आधार बनाकर अपीलान्ट के वैद्य लाईसेंस को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। यह है कि आदेश में विर्णित मुकदमा संख्या 74/2013 अंतर्गत धारा 323, 341, 452, 354 का प्रकरण आपसी विवाद था, जिसमें ट्रायल होकर न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट व उसके भाई व पिता को बरी कर दिया गया है। माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2016 की छाया प्रति संलग्न है। उक्त विवाद में शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त विवाद के चलते या विवाद के बाद दौराने मुकदमा अभी तक पीडित पक्ष के विरूद्ध शस्त्र का प्रयोग या दुरूपयोग नहीं किया है इसलिये उक्त आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्ट द्वारा पालना की जाती रही है। यह कि मुकदमें में पूर्व से जमा शस्त्र को प्रार्थी/अपीलान्ट थाने पर लेने गया तो दिनांक 22.6.2016 को पता चला कि उसका अनुज्ञापत्र निरस्त हो गया है अब गन वापिस नहीं मिल सकती है इस पर दिनांक 23.6.2016 को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जांच की तो पता चला कि उसका लाईसेंस एकतरफा में उसकी बैक पर बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई किये निरस्त कर दिया गया है। उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया नकल प्राप्त होने पर उसे पढ कर असल जानकारी हुई। अतः जानकारी दिनांक 23.6.2016 से अपील अन्दर मियाद पेश है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी

प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपने पत्रांक 4896 दिनांक 30.10.2013 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्ट व उसके परिवारीजन के विरूद्ध मुकदमा संख्या 74/2013 धारा 323,34,452,354,382,34 ता0हि0 व 3–1 (10), 2–(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट दायर हुआ है। उक्त अपीलान्ट के नाम अनुज्ञापत्र संख्या 1/2011 जारी है। अपीलान्ट के द्वारा लाईसेंसी हथियार से पीडित पक्षकार को प्रभावित किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिला पुलिस आधीक्षक धौलपुर की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलान्ट एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है जिस पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उक्त लाईसेंसधारी के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने एवं लोकशांति भंग होने की आशंका रहेगी। इसलिये जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तहत अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 17(3)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है जो न्यायिक है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। दौराने सुनवाई यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि अपीलान्ट के खिलाफ सक्षम अदालत में चल रहे जिस मुकदमे का जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उसमें दिनांक 11.2.2016 को निर्णय पारित किया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु वकील अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के द्वारा माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2016 की छाया प्रति पेश की गई है। प्रस्तुत निर्णय दिनांक 11.2.2016 में अपीलान्ट को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना एक अलग बात है और उस मुकदमें में दोषी पाया जाना दूसरी बात है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे दिया जाये तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत आशंका व्यक्ति किये जाने के संदर्भ में अथवा आशंका की ताईद में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत राजकीय अधिवक्ता द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य की पुष्टी की जा सके इसके अलावा न तो जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में और न ही तहत अदालत के अपीलाधीन आदेश में इस बाबत कोई विवेचना की गई है । वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि अपीलाधीन आदेश में जिस मुकदमें को आधार बनाया गया है उसका सक्षम अदालत द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है कथनों की ताईद में माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2016 की छाया प्रति पेश की गई है। फिर भी एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा यह प्रकरण वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर तथा सक्षम अदालत द्वारा पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर पुनः जांच कर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाना ही उचित रहता है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2013 निरस्त किया जाता है। प्रकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official